

15.05.2024

पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा
अधिवक्ता प्रार्थी ने अपने प्रार्थना पत्र को
जरिये नोटिफिस खारिज करने का निवेदन
किया।

अधिवक्ता प्रार्थी के निवेदन पर प्रार्थना-
पत्र अस्तित्व काय 126 राजस्थान
द्वारा - राजस्व अधिनियम जारि नोटिफिस
'खारिज किया गया है

पत्रावली के साथ शुभा खोला गया
से इस की जांच माफिस दफ्तर है।

सहायक कलेक्टर, सांचीर
(उपखण्ड अधिकारी, सांचीर)

